

- ✓ राज्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित राज्य की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों की विभा 20 तक की विधि में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही छात्र को मांगवावी की जाएगी।
- ✓ राज्य को राज्य-राज्य पर निर्भर राजनायक के अनुसार निर्देश एवं समझौता शुरू करना होगा।
- ✓ राज्य की $\frac{20}{100}$ / $\frac{10}{100}$ से अधिकाधिक से अधिकाधिक अनुभव प्राप्त किए जाने आवश्यक होगा।
- ✓ राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षा/विशेष/अभियोग/समाप्तियों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रशासनिक विद्या, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा संबंधित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, 2020 द्वारा बताने वाले निर्देश, घोषणाएं, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बंध्य होगी।
- ✓ विशेषज्ञ इन मांगवावी पाठ्यक्रम को संयुक्त परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से अनुभव प्राप्त करने में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायक प्रदान कर होगा और शिक्षक एवं शिक्षकों की सुविधाओं को लिए राज्य सरकारों द्वारा होगा। प्रशासनिक विद्या परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रशासनिक विद्या निर्देशक एवं प्रशासनिक विद्या विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई भी बात साफ दिखे बिना ही राज्य सरकार के अधिकारों का न्यायमान द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति मांगी जायेगी निर्णय किया जाता है जो तत्काल प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य को करनी होगी।
- ✓ विशेषज्ञ इन मांगवावी पाठ्यक्रम संचालित करते जारी परीक्षाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई विधि/आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं अभियोग द्वारा होने के पूर्व पी.सी.आई.डी. से अनुभव प्राप्त कर निर्देश मांगवावी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा की (मांगवावी) के माध्यम से अधिकाधिक राज्य सरकार पर सीटों प्रवेश/अनुभव को प्रदान की जाएगी।
- ✓ राज्य प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय संचालित उत्तर में निर्देशों का अनुभव करने आवश्यक होगा।
- ✓ राज्य को अपने विभागत पर राज्य की राज्य सुनिश्चित करे सार्वभौमिक सुविधाएं, राज्य, राज्य-राज्य, उत्तर प्रदेश, राज्य विद्या वाले राज्य सुनिश्चित, मांगवावी शुरू करने की विधि/अनुभव करना होगा।
- ✓ राज्य को शिक्षण-अभियोग हेतु आयोजित राजनायक प्रवेश परीक्षा को राज्य निर्णय करने के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ प्रवेश परीक्षा सुनिश्चित है कि राज्य में प्रशासनिक/समाप्तियों/अनुभव को प्रदान करने हेतु निर्देशक संबंधित के सार्वभौमिक संबंधित नए अभियोग, सुविधाएं, निर्णय, समाप्तियों/अनुभव को यदि राज्य द्वारा किसी अन्य मांगवावी के संबंध में प्रदान किया जाता है और निर्णय को सुनिश्चित करनी होगी कि राज्य सरकारों का संबंधित किसी अन्य कार्य के लिए कर रहे हैं तो तत्काल राज्य की सार्वभौमिक समाप्तियों को अनुभव को प्रदान की जाएगी।
- ✓ समझौता जारी कर अनुभव न निर्देश करने प्रदान करें या प्रदान करने किने जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुभव/समाप्तियों करनी होगी।

(गोपाल कुमार मनीषिया)
 सचिव/मुख्य सचिव

पू.सं- प्रशासनिक/परिषद समाप्तियों / 2020 / 1072-2151
 ज्ञापित-प्रशासनिक/निर्देशक, उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा एवं अभियोग द्वारा जारी, प्रशासनिक।

तारीख: 15-08-2020

(गोपाल कुमार मनीषिया)
 सचिव/मुख्य सचिव

कार्यालय:

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या: दिनांक: 01/03/2021

संख्या- प्राविच/परिषद/संख्या/2021/01537

आवृत्तीय आदेश

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विप्लवा स्वीय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविच/ शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघस्थित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश सम्पन्न बुद्धि सहित अन्य नई या विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शिष्ट एवं निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविच/ शिक्षा परिषद, उा प्र लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं इसमें अर्जित प्रवेश सम्पन्न हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4478-INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VILLAGE-CHEHARI, MAHARAJGANJ

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0एम पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0एम पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शैक्षणिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा शैक्षणिक शिक्षा परिषद विनियमनवली 1992, संसदीय विनियमनवली-2018 तथा जन्म निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इतरे पाठ्यक्रमों हेतु ए0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु ए0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परीक्षा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ए0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझनामय या वारान्त द्वारा निर्गत किये जाने वाले शक्यताएँ सम्पत्ती होंगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीत निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाय है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविच/ शिक्षा परिषद) तथा उप सन्देशियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमनवली-2000 की शर्तों का अनुपालन कराया होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समाज पर निर्गत वारान्तों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करवाया होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0एम पी0सी0आई0 के आवासीय सत्र हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।

इस उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिवतमार्गानुसार आकाशवाणी, रेडियो एवं टेलीफोन, प्रतियोगिता, आकाशवाणी
प्रवेश परीक्षा परिषद, आर०ए० तथा प्रतियोगिता शिक्षा परिषद, आर०ए० द्वारा बनायी गयी अग्रणी, प्रतियोगिता, आर०ए० विदेशी भाषा परिषद
के लिये कार्य होगी।

- ✓ दिल्ली एवं कर्नाटक पर्यटन के संरक्षण यदि पी.पी.आर. एवं दिल्ली की अनुसूचित प्रांत की अंतर्गत होती है तो इस संबंध में
सम्बन्धित उत्तरदायित्व स्वयं का होगा और विधिवत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए अंतर्गत राज्य अंतर्गत ही होगी। प्रतियोगिता शिक्षा
परिषद, संयुक्त प्रदेश महिला परिषद, प्रतियोगिता शिक्षा विभाग एवं प्रतियोगिता शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी कार्य
देना नहीं है तथा द्वारा बंद के संबंध में न। संयुक्त प्रदेश द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति होगी। प्रवेश विदेशी शिक्षा अंतर्गत है तो उत्तर
प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को भेजनी होगी।
- ✓ दिल्ली एवं कर्नाटक पर्यटन संरक्षण करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश महिला परिषद, उत्तर प्रदेश अग्रणी द्वारा प्रवेश करने
के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कंडिशनल फॉर्म देने के पूर्व पी०पी०आर० की अनुसूचित प्रांत पर परिषद, कर्नाटक की अंतर्गत
करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कंडिशनल फॉर्म के माध्यम से प्रवेश जाना स्तर पर कोई प्रवेश) अनुसूचित नहीं करना ही चाहेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश संबंधित आदेशों का अनुपालन राज्य अंतर्गत ही होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रचना, संरचना, उपकरण, प्रदान
जिना जगों वाले शुल्क, अग्रणी शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रवर्धन हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ शिक्षण केंद्रों के संरक्षण में समस्त आवश्यक व्यवस्था
सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि स्वयं में प्रत्यक्ष संबंधित माध्यमों को रखते सभी हेतु निर्देश संबंधित के समस्त उपलब्ध कराये
गये अग्रणी, भूमि-सम्पत्, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था स्वयं किसी अन्य माध्यम के माध्यम से प्रवेश किया जाता है
और परिषद को इसकी जानकारी होती है तो संस्था अनुरोध या प्रवेश किसी अन्य माध्यम के लिए मत रही है तो उत्तर प्रदेश संस्था की
सम्बन्धित समाप्त विधि अपने को अनुसूचित में करनी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निर्माण योजना यदि संस्था में भूमि, अना, प्रयोगकर्ता, उपकरण एवं अन्य सामग्री ए०आई०टी०ए०
पी०पी०आर० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं होगा जाता है तो संस्था की सम्बन्धित समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन न भिये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले की विधियों नियमनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की
जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/09/2021

फ़ोन- प्रवेशपरिषद संख्या/2021/3533-4809

पत्तिका-

स्थान-संस्थान INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, VILLAGE CHEHAR, MAHARAJGANJ



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव